राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3710/2025

पूजा पाटीदार

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 गणित विज्ञान के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राहोली, ब्लॉक निवाई, जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नटवाड़ा ब्लॉक निवाई, जिला टोंक कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने बिना काउंसलिंग किए और नजदीकी रिक्त पदों को दर्शाएं बिना अवैध रूप से अपीलार्थी का अन्यत्र पदस्थापन किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने संबंधित जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की पूर्व स्वीकृति लिए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया क्योंकि अपीलार्थी की नियुक्ति जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद हुई थी। इसलिए आलौच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 का उल्लंघन करके पारित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश दिनांक 16.07.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा शिक्षकों को अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति हेतु निर्देश/दिशा–निर्देश जारी किए थे। प्रत्यर्थी विभाग ने निर्देश संख्या 4 पर विचार

किए बिना, जिसमें कहा गया था कि यदि एल–1 और एल–2 के शिक्षकों पर नियम 6(3) के अंतर्गत कार्यवाही नहीं हुई है, तो उन्हें पंचायतीराज पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, अपीलार्थी के मामले में नियम 6(3) के अंतर्गत कार्यवाही नहीं हुई है, वह उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की हकदार है जबकि अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–4) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 द्वारा प्रतिबन्ध अवधि में अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान बदल दिया तथा 6डी के बिना उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित किया गया है, जबकि उसे उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को ब्लॉक राहोली से ब्लॉक निवाई में पदस्थापित किया गया है, जबकि ब्लॉक रहोली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अंबेडकर कॉलोनी, राहोली और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तुम्बीपुरा, राहोली में अध्यापक ग्रेड III गणित–विज्ञान के दो पद रिक्त हैं। अतः उन्हें इन दोनों विद्यालयों में से किसी में भी पदस्थापित किया जावे, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–5)। मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ने परिपत्र दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा उन्होंने दिनांक 15.01.2023 से स्थानांतरण/पदस्थापन पर रोक लगा रखी है। उसके बाद से वही परिपत्र अस्तित्व में है। अपीलार्थी को बिना किसी नियम के पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुशंसा प्राप्त किए बिना ही यह आदेश जारी कर दिया, क्योंकि आदेश में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की कोई अनुशंसा ली है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राहोली, ब्लॉक निवाई, जिला टोंक से दिनांक 22.07.2025 के आदेश की आड़ में कार्यमुक्त न करें।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य